न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,किशनगढ–बास अलवर

अध्यासित :– श्री औमप्रकाश सहारण

प्रार्थना सख्या	दायरी दिनांक	निर्णय
18/2022	11–3–2022	20-4-2022

अनुवान

1 रामस्वरूप पुत्र श्योनारायण जाति जोगी निवासी भटकोल तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर :——— प्रार्थी

बनाम :–

1 तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशगनढ–बास जिला अलवर

:—– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1955

उपस्थिति – श्री खुर्शीद अहमद एडवोकेट , प्रार्थी की ओर से

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा सख्या हाल – 47 रकबा 0.28 हे. , 104 रकबा 0.80 हे. , 128 रकबा 1.56 हे. वाके ग्राम भटकोल तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर में स्थित है जो सालिम रकबा प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज है।

कि आराजी उक्त प्रार्थी की तन्हा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है मौका पर काबिज है रिकोर्डस में अमल हो रहा है वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी संवत 2069 सलॅग्न है।

उक्त आराजी के डोल में डोल सीमा ग्राम बोलनी की आराजी खसरा न. 45 इत्यादि लगते हूऐ है जिस आराजी खसरा न. 45 ग्राम बोलनी के खातेदार लडाका व खुखार किस्म के लोग है आये दिन प्रार्थी की आराजी के दरमियानी डोल को बतौर मूठमर्दी मिसमार करते रहते है तथा झगडा फिसाद करते है

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी झगडा फिसाद व मुकदमा बाजी से बचने के लिये सीमा ज्ञान का प्रार्थना पत्र माननीय तहसीलदार किशनगढ–बास के कार्यालय मे पेश किया जिसकी पालना में 27–7–21 को हल्का पटवारी बोलनी व आईएलआर ने मौके पर जाकर सीमा ज्ञान कर मौका पर्चा तैयार करते हूऐ सीमा ज्ञान कराकर निशानात लगा दिये उक्त मौका पर्चा की अनुपालना में प्रार्थी मौके पर पत्थरगढी कराना चाहते है जिससे कि मुकदमा बाजी से बचा जा सकें। मौका पर्चा दिनांक 27–7–21 सलग्न है।

अतः प्रार्थना है कि आराजी खसरा सख्या हाल 47 रकबा 0.28 हे. , 104 रकबा 0.80 हे. , 128 रकबा 1.56 हे. वाके ग्राम भटकोल तहसील किशगनढ–बास की पत्थरगढ मुताबिक मौका पर्चा दिनांक 27–7–21 के अनुसार मौके पर पुलिस जाप्ता प्रदान किया जाकर कराई जावे तथा हर्जा खर्चा प्रार्थी से दिलाया जावे। अन्य सहायता जो न्यायालय श्रीमान मुनासिब समझे अता फरमाई जाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हूऐ जवाब पेश किया वकील प्राथ्र्जी की एक पक्षीय बहस सुनी गई वकील प्राथ्र्जी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हूऐ बताया कि आराजी 47 रकबा 0.28 हे. , 104 रकबा 0.80 हे. , 128 रकबा 1.56 हे. वाके ग्राम भटकोल तहसील किशगनढ–बास की पत्थरगढी मुताबिक पर्चा दिनांक 27–7–21 के अनुसार की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात मौका रिपोर्ट मौका पर्चा दिनांक 27—7—021 के अनुसार आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है तथा मुताबिक मौका पर्चा एवं पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ करवाई जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है ।

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा सख्या हाल 47 रकबा 0.28 हे. , 104 रकबा 0.80 हे. , 128 रकबा 1.56 हे. वाके ग्राम भटकोलतहसील किशनगढ—बास की भूमि की पत्थरगढ प्रार्थी व पडौसी काश्तकारो की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तो की जावे साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार की कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतू तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील लेख दाखिल दफतर हों

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ—बास(अलवर)